

राजस्थान सरकार
पुरासैनिक सुधार अनु-31 विभाग

क्रमांक प. 64 प्र. सु. / अनु-3/2006/12

जयपुर, दिनांक 28 जनवरी, 06

::: आदेश :::
=====

राज्य व जिला ह्यमन डक्लपमेन्ट रिपोर्ट को तैयार किये जाने की प्रक्रिया को दिशा-निर्देश प्रदान करने हेतु राज्य स्तरीय सलाहकार समिति का निम्नानुसार गठन महामन्त्रिय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति से एतद्वारा किया जाता है :-

- | | |
|---|------------|
| 1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, विकास, राजस्थान, जयपुर | अध्यक्ष |
| 2. शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर | सदस्य |
| 3. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज., जयपुर | सदस्य |
| 4. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा विभाग, ब्रीकानेर | सदस्य |
| 5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, ब्रीकानेर | सदस्य |
| 6. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज., जयपुर | सदस्य |
| 7. निदेशक, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर | सदस्य |
| 8. प्रतिनिधि, ग्राम एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर । | सदस्य |
| 9. प्रतिनिधि, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर | सदस्य |
| 10. प्रतिनिधि, पंचायत राज विभाग, राजस्थान, जयपुर | सदस्य |
| 11. निदेशक, विकास अध्ययन संस्थान, राजस्थान, जयपुर | सदस्य |
| 12. प्रतिनिधि, यू. एन. एफ. पी. एल, जयपुर | सदस्य |
| 13. प्रतिनिधि, सोशल पार्लिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जयपुर | सदस्य |
| 14. प्रतिनिधि, यूनिसेफ, जयपुर | सदस्य |
| 15. प्रतिनिधि, इन्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेन्ट एण्ड रिसर्च, जयपुर । | सदस्य |
| 16. प्रतिनिधि, अरावली संस्थान, एच. सी. एम. रीगा, जयपुर | सदस्य |
| 17. प्रतिनिधि, अर्थशास्त्र विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर । | सदस्य |
| 18. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर | सदस्य सचिव |

अध्यक्ष आवश्यकतानुसार किसी अन्य विभाग/संस्थान के प्रतिनिधि को विशेष सदस्य के रूप में आमंत्रित कर सकेंगे ।

समिति का पुरासैनिक विभाग आयोजना (गुप-1) विभाग को गठित करने का यह समिति एक अस्थाई समिति होगी। जो कि उक्त रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने तक कार्यरत रहेगी ।

आज्ञा से,

राजस्थान सरकार

प्रतिनिधि निम्नलिखित को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, महामन्त्रिम राजपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, विकास, राजस्थान, जयपुर ।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, जयपुर ।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग, जयपुर ।
7. निजी सचिव, सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर ।
8. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
9. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर ।
10. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर ।
11. क्षयकृत, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर ।
12. निदेशक, कृषि विभाग, जयपुर ।
13. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर ।
14. निदेशक, विकास अध्ययन संस्थान, 8-बी, जालाना संस्थागत क्षेत्र, जयपुर ।
15. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर ।
16. स्टेट प्रोजेक्ट कार्डिनेटर, यू.एन.एफ.पी.ए., मिक्ल लाईन्स, जयपुर ।
17. निदेशक एवं पदेन सदस्य सचिव, सेशन पार्लिसी रिमर्च इंस्टीट्यूट, जयपुर ।
18. प्रोजेक्ट ऑफिसर, यूनिसेफ, जयपुर ।
19. निदेशक, इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेन्ट एण्ड रिसर्च विभाग, जयपुर ।
20. कार्यकारी निदेशक, अराक्ली संस्थान, एन.सी.एम. सीपा., जयपुर ।
21. विभाग अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, राजस्थान विवरण विधालय, जयपुर ।
22. उप शासन सचिव, आयोजना प्रमुख-1 विभाग को आज्ञा की अतिरिक्त प्रतियाँ समस्त सम्बन्धित को वितरण हेतु प्रेषित हैं ।
23. रक्षित पत्रावली ।

शासन उप-सचिव